

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। निम्नानुसार
जमीनमाली

प्राचीन द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज आधार केन्द्र द्वारा प्राप्त, पहचानपत्र
व्यं आधार पर भगवानसहाय पुत्र कौशु के नाम पर भगवानसहाय पुत्र कौशु
किया जाना पुनर्जांचित है।

01/12/2021
प.म. पापराजलाल जमवालकर, तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागोडजी

क्रमांक : राजरव/2020/

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को पत्रित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अनिश्चया की जाती है / नहीं की जाती है।

उक्त किता जाना उचित है।

02/12/2021
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागोडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 21/12/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	जगदीशपुर	2075-78	06	भगवानसहाय पुत्र कौशु जानि मालि	भगवानसहाय पुत्र कौशु जानि मालि

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजरव/2020/1769-70

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोडजी को वास्तो पालनाार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनाार्थ।

दिनांक - 21/12/21

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

